रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– के पी सिटी– 67/2018–20

अधिकार किसको जानने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.dhr.gov.in लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गज़ट पढ़ने हेतु log in करें www.behm.org.in

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही,
कानपुर–208014

वर्ष –41 ● अंक –1 ● कानपुर 1 से 15 जनवरी 2019 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹100

25 नवम्बर 2003 के अनुसार 1998 के पश्चात जारी

B.E.M.S. डिग्री अवैध

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा जारी दिनांक 18–11–1998 का वह ऐतिहासिक आदेश जिसमे डिग्री जारी करने पर रोक लगा दी गयी थी इसके बावजूद डिग्रियाँ जारी करने का क्रम आज भी जारी है, इस आदेश में महत्वपूर्ण बात यह रही कि इसमें बी0ई0एम0 एस0 डिग्री का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है, सन् 1998 से लेकर आज तक इस डिग्री का पूर्ण नाम अलग–अलग स्थान पर अलग–अलग दर्शाया जाता रहा है देखिये एक बानगी :–जब डिग्री जारी करने पर प्रतिबन्ध की बात की जाती है तो इसे प्रमाण पत्र कह दिया जाता है कई बार इसका उपहास भी किया जा चुका है और तो और अन्तर विभागीय समिति जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता की संस्तुतियों के लिए गठित है उसने भी बी0ई0एम0 एस0 डिग्री /प्रमाण पत्र पर अपनी टिप्पणी की है।

विदित हो कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 18 नवम्बर, 1998 को एक जनहित याचिका संख्या 4015/96 में केन्द्र सहित सभी राज्य सरकारों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी की समस्या के समाधान के लिए कानून बनाने के लिए निर्देश दिये गये थे और सरकार अपने पुराने ढर्रे पर कायम रहते हुये कानून बनाने में कोई रूचि नहीं दिखायी गयी, और तो और एक अन्य बाद में केन्द्र सरकार द्वारा अपील की गयी जिसमें सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जनहित याचिका में दिये गये आदेश को गम्भीरता से लिया (अब तो मजबूरी थी) केन्द्र सरकार ने आनन–फानन में माननीय सुप्रीमकोर्ट के निर्देश का पालन करने हेतु एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया जिसमें माननीय न्यायालय के कानून बनाने के निर्देशों की अनदेखी करते हुए मान्यता हेतु लाम्बित पड़े हुए प्रस्तावों को प्राथमिकता देते हुए समिति की संतुतियों को स्वीकार करते हुए 25 नवम्बर, 2003 को एक आदेश फटाफट जारी कर दिया जिसमें राज्य सरकारों सहित केन्द्र शासित प्रदेशों को भी निर्देशित किया कि गैर मान्यता प्राप्त पद्धतियों को बैचलर व मास्टर डिग्री/डिपलोमा देने से रोका जाये तथा Dr. शब्द का प्रयोग केवल मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों द्वारा ही किया जाये, सरकार के इस आदेश का व्यापक स्तर पर प्रचार भी किया जाये।

सरकार के इस आदेश को समाचारपत्रों ने इस प्रकार प्रकाशित किया जिससे पूरे देश में शून्यता की स्थिति पैदा हो गयी जबकि वास्तव में इस आदेश में रोक जैसी कोई स्थिति ही नहीं थी।

18 नवम्बर, 1998 के इस आदेश का अनुपालन करने हेतु गठित विशेषज्ञ समिति ने भी जो संस्तुतियां दी हैं उसने भी पूर्णकालिक बैचलर व मास्टर डिग्री जारी करने पर रोक की बात कही है इसके बावजूद लगातार यह क्रम आज भी जारी है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की संस्थाओं एवं चिकित्सकों के विरूद्ध जब कोई कार्यवाही होती है तो इन्हीं संस्तुतियों का संज्ञान लिया जाता है और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए कोई प्राविधान न होने के बावजूद भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्थाओं एवं चिकित्सकों के विरूद्ध कार्यवाही हो जाती है और इनके विरूद्ध प्रमुखता से मेडिकल काउन्सिल एक्ट की धारायें लगायी जाती हैं यदा कदा होम्योपैथी एक्ट का भी प्रयोग कर लिया जाता है जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्थायें जो बी0ई0एम0 एस0 व एम0डी0ई0 एच0 पाठ्यक्रम संचालित कर रही हैं वह कहीं न कहीं परोक्ष रुप से माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ–साथ सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की भी अवमानना कर रही हैं क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय के इस आदेश के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अपील योजित की गयी थी जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन हेतु भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था जिसने सरकार को संस्तुति की कि पहले से मान्यता प्राप्त वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों अर्थात आयुर्वेद, युनानी, नेचरोपैथी, योगा, सिद्धा एवं होम्योपैथी के अतिरिक्त किसी अन्य चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने की संस्तुति नहीं की जा सकती है क्योंकि यह आवश्यक मापदण्ड पूरे नहीं करती हैं ऐसी गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों को पूर्णकालिक बैचलर व मास्टर डिग्री जारी करने से रोका जाये तथा डाक्टर शब्द का प्रयोग पहले से मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों द्वारा ही किया जाये समिति की संस्तुतियों को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार किया गया तथा दिनांक 25 नवम्बर, 2003 को इनके क्रियान्वयन हेतु आदेश जारी किया गया जिसके द्वारा सभी राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देशित किया गया कि सरकार के इस निर्णय का व्यापक स्तर पर प्रचार किया जाये तथा उनके अधिकार क्षेत्र में संचालित ऐसी गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों की गतिविधियों पर नज़र रखी जाये तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि यह संस्थायें डिग्री / डिपलोमा न जारी करें और इनके चिकित्सकों द्वारा डाक्टर शब्द का प्रयोग न किया जाये।

25 नवम्बर 2003 के इस आदेश की व्याख्या इस प्रकार की गयी कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की सारी गतिविधियां ठहर सी गयीं समाचार पत्रों द्वारा ऐसा प्रचारित किया गया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता केन्द्र सरकार द्वारा समाप्त कर दी गयी हो तथा अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी संस्थानों एवं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। ज्ञातव्य हो कि राज्य सरकार और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्थानों ने यह नहीं सोचा कि जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता दी ही नहीं गयी है तो समाप्त कैसे होगी !

भ्रामक समाचारों से देश में लगभग सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संस्थानों में उहापोह की स्थिति पैदा हो गयी जिसके कारण बिना सोचे समझे दर्जनों की तादाद में उच्च न्यायालय में याचिकायें योजित कर दी गयीं जिसमें बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 की एक याचिका को छोड़कर शेष सभी याचिकायें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक झटके में ही खारिज कर दी गयीं जिसमें एक केस ऐसा रिपोर्टेड हुआ कि जिसका दुष्प्रभाव अन्य राज्यों में भी पड़ा इस प्रकार उत्तर प्रदेश की समस्या पूरे देश की समस्या बन गयी।

केन्द्र के इस 25 नवम्बर, 2003 के आदेश के सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भारत सरकार को निर्देश दिये गये जिसके परिणाम स्वरूप 21 जून, 2011 का आदेश प्राप्त हुआ जो आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास की रीढ़ है।

25 नवम्बर 2003 का आदेश इलेक्ट्रो होम्योपैथी सहित सभी गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों की शिक्षा एवं चिकित्सा हेतु दिशा निर्देश है। इस आदेश को स्पष्ट करने के लिये केन्द्र सरकार ने 5–5–2010 को एक और आदेश जारी किया किन्तु इस आदेश को उन सभी को सन्दर्भित नहीं किया गया जिन्हें 25 नवम्बर, 2003 का आदेश सम्बोधित एवं प्रेषित किया गया था। 25 नवम्बर, 2003 से 5–5–2010 तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी की संस्थायें एवं

शेष पेज 3 पर

- ✓ B.E.M.S. कभी बन जाती है डिग्री तो कभी डिपलोमा
- ✓ जब फंसने लगते हैं तो डिग्री बन जाती है प्रमाण पत्र
- ✓ हाईकोर्ट ने पहले ही डिग्री प्रदान करने में लगाई है रोक
- ✓ कुछ शीर्ष संस्थायें आज भी कर रही हैं न्यायलय का उल्लंघन
- ✓ ऐसी संस्थायें बन रही हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास मे बाधक
- ✓ सरासर हो रहा है मा0 सुप्रीमकोर्ट एवं हाई कोर्ट के आदेशों का मज़ाक

नया साल लाया नया सवेरा

बीता साल अनेक उपलब्धियों के साथ समाप्त हुआ इस साल उत्तर प्रदेश शासन ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों एवं चिकित्सालयों के पंजीयन के लिए काफी सक्रियता दिखायी, इसी क्रम में क्रमशः महाराष्ट्र,छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान सरकारों को भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने के लिए अनुरोध किया गया, इससे यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि अब सरकार की नियत इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कुछ करने की बन चुकी है, इसीलिए सरकार ने तीन राज्यों से जानकारी लेने के लिए पत्र लिखा है, सरकारों ने अब तक इस विषय पर क्या कार्यवाही की है ?निश्चित तौर पर इसकी जानकारी तो नहीं है लेकिन जो भी सूचनायें प्राप्त होंगी वह निःसन्देह इलेक्ट्रो होम्योपैथी के हित में ही होंगी।

वैसे राज्य सरकार अपने स्तर से भरसक प्रयास कर रही है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों एवं चिकित्सालयों की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो सके और इलेक्ट्रो होम्योपैथ भी स्वतन्त्रतापूर्वक अपने चिकित्सकीय कार्य निर्भीकता से कर सकें एवं शासकीय स्तर पर उनको भी वह पूरा सम्मान मिले, अब तो केन्द्र सरकार भी शासकीय संरक्षण प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों से भिन्न अन्य प्रचलित चिकित्सा पद्धतियों के नियमन के लिए नियम कानून बनाने की पहल कर चुकी है, इसी क्रम में सरकार ने फिज़ियोथेरेपी, डाइटिशियन सहित लगभग कई दर्जन प्रचलित विधाओं एवं थेरेपी के लिए कानून बनाने का ड्राफ्ट भी तैयार कर चुकी है, सम्भवतः जो लोकसभा के इसी शीत कालीन सत्र में में लाया जा सकता है, यद्यपि इस विधेयक में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का उल्लेख कहीं दिख नहीं रहा है परन्तु कानून बनने के बाद सम्भावनायें इतनी प्रबल हो जायेंगी कि यदि दर्जनों विधाओं एवं थेरेपियों को अवसर मिल सकता है तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी को क्यों नहीं ! यदि कोई बाधा इसमें आ सकती है तो वह है अन्तर विभागीय समिति के समक्ष इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता का प्रकरण परन्तु इसमें भी कोई बात नकारात्मक नहीं है क्योंकि अन्तर विभागीय समिति के समक्ष हमारी प्रस्तुति अन्तिम रूप प्राप्त नहीं कर पा रही है और हमारा प्रयास भी इस विषय में सकारात्मक नहीं है, क्योंकि प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अभी भी लोग अन्तर विभागीय समिति को अपने प्रपोज़ल विभिन्न स्तरों से प्रेषित कर रहे हैं जिनके कारण नई–नई स्थितियां प्रति दिन निर्मित हो रही हैं और सरकार के समक्ष लम्बित प्रकरण कोई अन्तिम दिशा निश्चित नही कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में लोगों के प्रयास निरन्तर जारी रहेंगे, कार्य करने के तरीके में कोई बदलाव न आने से परिस्थितियां गम्भीर हो सकती हैं क्योंकि लोग आज भी नियम कानूनों का पालन नहीं कर रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है कि लोग नियम कानून जानते नहीं हैं या फिर जानबूझ कर उल्लघंन करते है इसमें बदलाव की आवश्यकता है क्योंकि गत वर्ष में जो कुछ भी उपलब्धि हुई है उसके परिणाम का समय आ चुका है, अब उसको कैसे प्राप्त किया जाये! इस पर विचार होना अत्यन्त आवश्यक है।

इस नव वर्ष में हमें ऐसे प्रयास करने चाहिये जो गत वर्षों में प्रयास किये गये हैं उसका निष्कर्ष सकारात्मक ही हो, सरकार द्वारा जारी आदेशों एवं निर्देशों का भलिभांति सावधानी पूर्वक पालन करना चाहिये, बैचलर,मास्टर एवं डाक्टर डिग्रियों/ प्रमाण पत्रों को जारी करने से उस समय तक बचना चाहिये जब तक सरकार इन डिग्रियों / प्रमाण पत्रों के लिए कोई विधिवत प्राविधान न बना दे, इसी प्रकार नाम के पहले डाक्टर शब्द के प्रयोग से भी बचना चाहिये यदि इसका ध्यान रखा जायेगा तो अनावश्यक परेशानियों से बचा जा सकता है और सरकार के समक्ष अपनी बात को भी मज़बूती के साथ रखा जा सकता है।

यह वर्ष इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए बहुत ही सुखदायी होगा क्योंकि जहाँ एक ओर राजस्थान सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है वहीं मध्यप्रदेश सरकार ने भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों के लिए दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं जिनका व्यापक स्तर पर लाभ इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मिलेगा, इसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य पर उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन का दबाव अवश्य बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश शासन को भी इन्हीं राज्यों के दिशा निर्देशों एवं उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दिशा निश्चित करनी है, ज्ञातव्य हो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए आदेश जारी कर रखा है।

निश्चित तौर पर यह नया साल नया सवेरा लायेगा।

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को EH Dr. लिखने में ही हित है

प्रायः चिकित्सा व्यवसाय में लगे लोग अपने नाम के साथ डाक्टर शब्द लिखते हैं जबकि उन्हें यह नहीं मालूम कि वह डाक्टर शब्द लिखने के अधिकारी हैं या नहीं ! एक ओर जहां वे जाने अनजाने में डाक्टर शब्द का प्रयोग अवैध एवं झोलाछाप चिकित्सकों के विशेषणों से पुकारे जाते हैं वही दूसरी ओर डाक्टर शब्द लिखने के वास्तविक अधिकारी भी यह नहीं चाहते हैं कि उनके अनुसार यदि कोई व्यक्ति डाक्टर शब्द का प्रयोग करता है तो वह अतिक्रमण करता है, कानून के अनुसार यह उचित भी है, इस सम्बन्ध में लगातार शिकायतों का दौर चलता रहता है और सीधे साधे चिकित्सक जो कानून की बारीकियां नहीं जानते हैं वह अनायास ही परेशान होते हैं जबकि उनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं होता है कि वह किसी के हित के साथ कोई खिलवाड़ करते हों, भारत वर्ष में चिकित्सा की अनेक पद्धतियां प्रचलित हैं और उनके उपयोग करने के लिए उस पद्धति के चिकित्सक के साथ पद्धति का नाम जोड़ने की परम्परा नहीं है, जबकि विधान के अनुसार आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक वैद्य, यूनानी चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक हकीम, सिद्ध चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक सिद्धा चिकित्सक और नेचुरोपैथी एवं योगा के चिकित्सक प्राकृतिक चिकित्सक एवं योगा थेरेपिस्ट तथा होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक होम्योपैथ कहलाते है। इसके अतिरिक्त दर्जनों चिकित्सा पद्धतियाँ जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पारम्परिक चिकित्सा पद्धति घोषित हैं एवं जिनको कोई सरकारी मान्यता नहीं है उनके चिकित्सक भी उस चिकित्सा व्यवसायिक के रूप में चिकित्सा व्यवसाय करते हैं इन चिकित्सा पद्धतियों में चीन की पारम्परिक चिकित्सा पद्धति एक्यूपंकचर भारत में मान्यता प्राप्त करने का प्रयास कर रही हैं इसके अतिरिक्त देश में एक और मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति है जिसे सोवा रिग्पा के नाम से जाना जाता है इस चिकित्सा पद्धति को भारतीय चिकित्सा पद्धति के अधीन मान्यता प्रदान की गयी है।

भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियां क्रमशः एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, योगा, सिद्धा, नेचुरोपैथी एवं सोवा रिग्पा प्रचलित हैं इसी कड़ी में इलेक्ट्रो होम्योपैथी अपना स्थान बनाने में अग्रसर है ऐसी स्थिति बन रही है कि कभी भी या किसी भी समय सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता दी जा सकती है। चिकित्सकों द्वारा Dr. लिखने पर मेडिकल काउन्सिल एवं इण्डियन मेडिकल एसोसि– एशन इन पद्धतियों के चिकित्सकों के खिलाफ स्वतः कार्यवाही करते हैं प्रेस एवं मीडिया के माध्यम से बदनाम करते हैं तथा सरकार पर भी इन्हें डाक्टर लिखने से रोकने के लिए भी दबाव बनाते है जब सफल नहीं होते हैं कानून एवं संसद का भी प्रयोग करते हैं जबकि यह बात भारत सरकार द्वारा जारी 25 नवम्बर, 2003 आदेश से स्पष्ट की जा चुकी है कि केवल मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सक ही डाक्टर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं इसमें वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति की मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति अर्थात आयुर्वेद,यूनानी होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, योगा, सिद्धा, नेचरोपैथी के ही चिकित्सक डाक्टर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। सरकार ने 25 नवम्बर, 2003 के आदेश में स्पष्ट किया है कि इस आदेश का राज्य सरकारें एवं केन्द्र शासित प्रदेश व्यापक स्तर पर प्रचार करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सक डाक्टर शब्द का प्रयोग कदापि न करें यदि कोई चिकित्सक ऐसा करता पाया जाये तो उसके विरूद्ध नियनानुसार कार्यवाही की जाये।

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के 25 नवम्बर, 2003 के आदेश जिसमें राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देशित किया गया है कि गैर मान्यता प्राप्त पद्धतियों को बैचलर व मास्टर डिग्री/डिपलोमा देने से रोका जाये तथा डा0 शब्द का प्रयोग केवल मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों द्वारा ही किया जाये, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के चिकित्सकों को चाहिये कि इस आदेश का अक्षरशः पालन करते हुए अपने नाम के आगे डाक्टर शब्द का प्रयोग न करके EH Dr. का प्रयोग करें जिससे सरकार के अद्यतन आदेशों मेडिकल काउन्सिल एवं इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा अनुचित ढंग से की जाने वाली कार्यवाही की हठधर्मी से बचें तथा अपनी प्रैक्टिस स्वतन्त्र रूप से कर सकें यदि ऐसा करते हैं तो अनावश्यक व्यवधान से बचे रहेंगे और मेडिकल काउन्सिल एवं इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही से बचे सहेंगे, इसके साथ यह भी प्रयास करें कि अपने पास इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अतिरिक्त अन्य किसी पद्धति की औषधियों का न तो प्रयोग करें और न ही क्रय एवं विक्रय करे , फेसबुक एवं वहाटसएप के माध्यम से ऐसी सूचनायें बड़ी तेज़ी के साथ प्रसारित की जा रही हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग बड़ी मात्रा में कर रहे हैं सिर्फ इतना ही नहीं वाद विवाद भी कर रहे हैं जिससे बचने की आवश्यकता है जो समय इस वाद विवाद में लगा रहे हैं वही समय यदि प्रैक्टिस में देंगे तो जन मानस को अत्याधिक लाभ पहुँचा सकेंगे।

संसद के वर्तमान सत्र में डाक्टर शब्द लिखने के अधिकार के प्रति एक प्रश्न माननीय सांसद डा0 तपस मण्डल द्वारा लोकसभा में उठाया गया है जिसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री से पूछा गया कि क्या B.A.M.S., B.H.M.S., B.U.M.S., B.S.M.S., B.D.S., B.Y.N.S.तथा M.B.B.S. अपने नाम के पूर्व डाक्टर लगा सकते हैं!

उत्तर में माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी ने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के निदेशक की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था जिसकी संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए सरकार ने डाक्टर शब्द प्रयोग करने हेतु दिनांक 25 नवम्बर 2003 को आदेश जारी कर दिये थे।

इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन, मेडिकल काउन्सिल व अन्य विधा की काउन्सिलों व संगठनों तथा सरकार की कार्यवाही का कोई दुष्प्रभाव न पड़े तथा अनावश्यक कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को चाहिये कि वह अपने नाम के साथ Dr. शब्द का प्रयोग न करके EH Dr. लिखना लिखे तथा अन्य चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों के बीच अपनी पहचान EH Dr. के रूप में बनायें इससे वह अवैध एवं झोलाछाप के विशेषण से तो बचेंगे ही साथ ही उनकी अपनी एक अलग पहचान भी होगी साथ साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी का प्रचार प्रसार भी बढ़ेगा तथा जन मानस में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की लोकप्रियता का ग्राफ भी बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ेगा।

25 नवम्बर 2003 ..... प्रथम पेज से आगे

निस्तारित करे।

बोर्ड ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 15 दिसम्बर 2011 को उत्तर प्रदेश शासन को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसका शासन ने परीक्षणोपरान्त 4 जनवरी 2012 को बोर्ड को शिक्षा,चिकित्सा,रजिस्ट्रेशन,अनुसंधान एवं विकास करने हेतु आदेश जारी किया। इसके क्रियान्वयन हेतु महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 द्वारा क्रमशः 2 सितम्बर, 2013 एंव दिनांक 14–3–2016 को प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों/अपर निदेशकों को शासन द्वारा जारी आदेश के परिचालन हेतु निर्देश भी जारी किये गये है।

देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अधिकारिता पूर्वक कार्य करने के लिए अनेक अवसरों पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय ने स्पष्ट किया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने के लिए सरकार का रोक का कोई इरादा नहीं है इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय में भी सरकार द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी की संस्थाओं द्वारा डिग्री/डिपलोमा जारी करने से लोगो का मोह भंग नहीं हो पा रहा है वह यह नहीं समझ पा रहे है कि कार्य करने का अधिकार होन के बावजूद जब वह डिग्री/डिपलोमा जारी करते है तो वह अवैध की श्रेणी में आ जाते है इतना ही नहीं वह माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना करने के साथ साथ सरकार के आदेशों का भी उल्लंघन करते है और अपने चिकित्सको को डाक्टर शब्द लिखाकर उनको भी वैध से अवैध बना देते है।

भारत सरकार की स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने जुलाई 2017 में संसद में एक प्रश्न के उत्तर में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सम्बन्ध में जो बयान दिया था उसमें कुछ भी गलत नहीं था लेकिन बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था इस ब्यान के आते ही एक बार फिर देश में 2003 जैसा भूचाल आ गया था लोग एक दूसरे से पूछने लग गये थे कि अब क्या होना चाहिये माननीय मंत्री जी का बयान जो संसद में दिया गया और उसके सन्दर्भ से समाचार पत्रों में जो समाचार छापे गये उनका बारीकी से अध्ययन कर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन आफ इण्डिया की एक उच्च स्तरीय समिति ने माननीय मंत्री जी को पत्र लिखकर वस्तुस्थिति से अवगत कराया तथा जन मानस में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की वास्तविक स्थिति को रखने के लिए अनेक स्थानो पर गोष्ठी, सम्मेलन एवं प्रेस वार्तायें आयोजित की गयी।

इस प्रकरण माननीय स्वास्थ्य मंत्री को भी सन्दर्भित किया गया जिसके निष्कर्ष में स्वास्थ्य मन्त्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार का नजरिया इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए आज भी 21 जून 2011 के अनुसार ही है विभाग ने इस सम्बन्ध में 21 दिसम्बर 2017 को इस आशय का पत्र भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन आफ इण्डिया को लिखा था। सरकार के इस पत्र से पुनः यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार अपने पूर्व में जारी के आदेश दिनांक 25 नवम्बर 2003,5–5–2010 एवं 21 जून 2011 पर आज भी कायम है। सरकार का दृष्टिकोण लगातार सकारात्मक बना हुआ है लेकिन हममे से कुछ लोग बराबर कुछ न कुछ ऐसा कर देते है जिससे बार बार स्थिति अनुकूल होने के बाद भी प्रतिकूल हो जाती है हमारे अधिकार असीमित से सीमित हो जाते है जिससे अनावश्यक नई स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लोग चिकित्सा और चिकित्सक के अधिकार के प्रति लगातार प्रयास करते रहते है और जितने भी प्रयास किये जा रहे है प्रथम दृष्टि तो वह क्षदम् ही दिखायी पड़ते है क्योंकि वहां काम करने से ज्यादा देखने और दिखाने का प्रयास होता है इस सम्बन्ध में जहां सर्वोच्च न्यायालय का सहारा लिया जा रहा है वही संसद को भी नहीं छोड़ा जा रहा है शायद हमारे साथियों को संसद व सरकार के अधिकारों का अन्दाजा नहीं है इसी कारण वह लगातार इस तरह की गतिविधिया करते रहते है जिससे कुछ नया होता रहता है वर्ष 2018 में दो ऐसे अवसर आये है जिसमें एक अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय में अपनी टिप्पणी की है और दूसरे अवसर पर कौन कौन डाक्टर लिखेगा यह संसद में बताया गया है इसमें स्वास्थ्य मन्त्रालय के 25 नवम्बर 2003 के आदेश का प्रमुखत से उल्लेख किया गया अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी संस्थाओं को अनन्तिम रूप से समझ लेना चाहिये कि यदि उन्होने बैचलर/मास्टर डिग्री/डिपलोमा का प्रयोग किया और अपने द्वारा प्रमाणित चिकित्सकों को डाक्टर शब्द लिखने के लिए प्रेरित किया तो स्थिति क्या हो सकती है।

अस्तु इलेक्ट्रो होम्योपैथिक शीर्ष संस्थाओं को चाहिये कि वह जब तक सरकार द्वारा कोई अग्रिम आदेश जारी नहीं किया जाता है कम से कम तब तक वह डिग्री/डिपलोमा जारी करने से बचे तथा चिकित्सकों को भी डाक्टर शब्द लिखने के लिए प्रेरित न करें।

इलेक्ट्रो होम्यो गजट की, तारीफ आज बहुत होती।
निष्पक्ष समाचार पत्र की, शैली सभी को अति भाती।।
प्रचार–प्रसार की तस्वीर, सच्चाई कभी न छुपाती।
लोक–कल्याण हेतु बनी, झूँठी अफवाह न फैलाती।।
14 जनवरी सन् 1979 से इलेक्ट्रो होम्यो गजट छाया।
सन् 2003 से 2012 तक, है कालखण्ड कहलाया।।
संकट में भी छपने से, रूकने कभी न पाया।
जैसे–तैसे पैथों तक, पैथी की लाज बचाया।।
बेहपम यू0पी0,इहमाई की, सच्ची राह दिखाती।
एक रूपता के मंत्र से सभी को गले लगाती।।
भारत विख्यात बन चुकी, पैठ चहुँओर दिखाती।
शहर मुहल्ला और गली इलेक्ट्रो पैथी न्यूज बताती।।
कहत देवानन्द सागर रचि, पत्र पढ़ि ऊर्जा आती।
धैर्य,साहस और कर्म, पैथी अति ज्योति बढ़ाती।।
सरकारी तंत्र में आने को, वरीयता प्रथम दिलाती।
खुश किस्मत आज हुए, भविष्य की राह दिखाती।।

प्रस्तुति

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कवि एवं चिकित्सक अभ्यागत शिक्षक
डा0 देवानन्द सागर
M.B.E.H. , M.D.E.H. , P.G.E.H.
काउण्ट सीज़र मैटी क्लीनिक, अमौली फतेहपुर, उ0प्र0

नव वर्ष मंगलमय हो f behm.up@rediffmail.com
Board of Electro Homoeopathic Medicine, U.P.
Recognised by Government of U.P.
Approved by Directorate General of Medical & Health Services, U.P.

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0

F.M.E.H. व A.C.E.H. पाठयक्रमों के संचालन हेतु निम्न जनपदों में स्टडी सेन्टर्स के स्थापनार्थ इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित करता है

इलाहाबाद, कौशाम्बी, बाँदा, चित्रकूट, झाँसी, ललितपुर, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, एटा, कासगंज, हाथरस, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, सहारनपुर, मुज़फ्फर नगर, शामली, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, सम्भल, बरेली, बदायूँ, पीलीभीत, हरदोई,सीतापुर, फ़ैज़ाबाद, सुलतानपुर, श्रावस्ती, बस्ती, गोरखपुर, खलीलाबाद, बलिया, गाज़ीपुर,वाराणासी,चन्दौली,भदोई, औरैया,फर्रुखाबाद एवं कन्नौज आवेदन पत्र एवं निर्देश बोर्ड की वेबसाइट www.behm.org.in (link Affiliation) से डाउनलोड कर सकते हैं।

Offered Courses

Name of the Course	Abbreviation	Eligibility	Duration
Member of Board of Electro Homoeopathic	M.B.E.H.	10+2 (Bio Group) or Equivalent	Three Years
Fellow of Medicine in Electro Homoeopathy	F.M.E.H.	10+2 (Any Stream) or Equivalent	Two Years (4 Semester)
Advance Certificate in Electro Homoeopathy	A.C.E.H.	Registered Practitioner Any Branch or Equivalent	1 Semester
Graduate in Electro Homoeopathic System	G.E.H.S.	10+2 (Bio Group) or Equivalent	4 Years Plus (1 Year Internship)
Post Graduate in Electro Homoeopathy	P.G.E.H.	Graduate in any Medical Stream or Equivalent	2 Years

JANUARY 2019

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

FEBRUARY 2019

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28		

MARCH 2019

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
31					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

APRIL 2019

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

MAY 2019

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Dr. Count Ceasure Mattei 11th January, 1809

JUNE 2019

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
30						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

JULY 2019

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

AUGUST 2019

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

SEPTEMBER 2019

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

OCTOBER 2019

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

NOVEMBER 2019

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

DECEMBER 2019

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Un forgettable dates

04 January → *Adhikar Diwas*

11 January → *Mattei Diwas*

24 April → *Board's Foundation Day*

21 June → *Vijay Diwas*

25 July → *EHMAI Foundation Day*

04 September → *Mattei Nirwan Diwas*

30 November → *Prerna Diwas*

(Dr. N.L. Sinha Jayanti)